7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 42/2017

बउनवान

1. रामगोपाल पुत्र बंशीलाल।
2. मदनलाल पुत्र बंशीलाल।
3. नरेशबाई पुत्री बंशीलाल।
4. वंदनादेवी पुत्री बंशीलाल।
5. राजेशबाई पुत्री बंशीलाल जातियान दर्जी निवासीगण बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र रामकिशन जाति दर्ज निवसी बालूहेडा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

वादीगण की आरे से– विद्वान अधिवक्ता श्री रेवतीरमण नागर।
प्रतिवादी 01 की ओर से– एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह।
प्रतिवादी 02 की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 25.08.2020

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट. के तहत न्यायालय में दर्ज कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी नबंर 01 के संयुक्त खाते की व एकल खाते की आराजीयात माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास में स्थित है, जो निम्न है:–

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

खाता संख्या	खसरा नबंर	रकबा	हिस्सा	
88	345	2.58 है0	1/2	
89	11	0.75 है0,		
	35	0.02 है0,		
	315	0.01 है0		
	316	1.94 है0,		
	317	0.92 है0,		
	344	0.01 है0,		
	375	0.20 है0,		
कुल खसरा किता 07 की रकबा 3.85 है0				
158	314	0.63 है0,		
	418	0.43 है0,		
	किता 02 की रकबा 1.06 है0,		1/2 हिस्सा	

यह कि पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी नबंर 01 की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट है। सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीनबंर 01 के खाते दर्ज रिकार्ड होने के कारण वादीगण का उक्त आराजी में जन्मशः अधिकार निहित होने के बावजूद भी उक्त आराजी में वादीगण का नाम व हिस्सा अंकित नहीं है, वादीगण के द्वारा प्रतिवादी नबंर 01 के खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में अपना नाम दर्ज कराने के लिये प्रतिवादी क्रम 02 से कई बार निवेदन किया जा चूका है। व राजस्व शिविर में भी निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी नबंर 01 के पुत्र व पुत्री हैं, उनका प्रतिवादी नबंर 01 के खाते दर्ज उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है। जिसका अंकन जमाबंदी में किया जावे किन्तु वादीगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया कि वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा तहसील कनवास में खाता नबंर 88 की खसरा नबंर 345 की रकबा 2.58 है0, में निहित 1/2 हिस्सा आराजी, तथा खाता संख्या 89 के खसरा नबंर 11 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 35 की 0.02 है0, खसरा नबंर 315 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 316 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 317 की रकबा 0.92 है0, खसरा नबंर 344 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 375 की रकबा 0.20 है0, किता 07 की 3.85 है0, आराजी सम्पूर्ण में तथा खाता संख्या 158 के खसरा नबंर 314 की रकबा 0.63 है0, खसरा नबंर 418 की रकबा 0.43 है0, किता 02 की रकबा 1.06 है0, आराजी में 1/2 में हिस्से में हक घोषणा की डिक्री पारित की जाकर वादीगण प्रत्येक 1/6 हिस्से का हिस्सेदार घोषित किया जावे तथा इन्द्राज दुरूस्त करके प्रतिवादी नबंर 01 को 1/6 हिस्से का हिस्सेदार घोषित किया जावे तथा इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादी कों तलवी जारी की गई, प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा दिनांक 14.11.2017 को जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नहीं है।

अतः उभयपक्षों को सुनने के बाद तथा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस स्तर पर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा तहसील कनवास में खाता नबंर 88 वर्तमान खाता संख्या 97 की खसरा नबंर 345 की रकबा 2.58 है0, में आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी नबंर 01 का भी 1/12 हिस्सा तथा शेष हिस्सा यथावत 1/2 रहेगा। खाता संख्या 89 वर्तमान खाता संख्या 96 के खसरा नबंर 11 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 35 की 0.02 है0, खसरा नबंर 315 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 316 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 317 की रकबा 0.92 है0, खसरा नबंर 344 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 375 की रकबा 0.20 है0, किता 07 की 3.85 है0, आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा रहेगा व प्रतिवादी नबंर 01 का 1/6 हिस्सा रहेगा। तथा खाता संख्या 158 व वर्तमान खाता संख्या 181 के खसरा नबंर 314 की रकबा 0.63 है0, खसरा नबंर 418 की रकबा 0.43 है0, किता 02 की रकबा 1.06 है0, आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा रहेगा। तथा प्रतिवादी नबंर 01 का 1/12 हिस्सा रहेगा। तथा शेष हिस्सा यथावत की इन्द्राज दुरुस्ती व हक घोषणा की डिक्री पारित की जाती है। मुताबिक निर्णय अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश [illegible] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

<u>अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. रामगोपाल पुत्र बंशीलाल।
2. मदनलाल पुत्र बंशीलाल।
3. नरेशबाई पुत्री बंशीलाल।
4. वंदनादेवी पुत्री बंशीलाल।
5. राजेशबाई पुत्री बंशीलाल जातियान दर्जी निवासीगण बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र रामकिशन जाति दर्ज निवसी बालूहेडा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट</u>

मुकदमा नं. **42/2017** सन **2017** तारीख फैसला **25.08.2020** आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री रेवतीरमण नागर वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से एडवोकेटा नरेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी नबंर 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा तहसील कनवास में खाता नबंर 88 वर्तमान खाता संख्या 97 की खसरा नबंर 345 की रकबा 2.58 है0, में आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी नबंर 01 का भी 1/12 हिस्सा तथा शेष हिस्सा यथावत 1/2 रहेगा। खाता संख्या 89 वर्तमान खाता संख्या 96 के खसरा नबंर 11 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 35 की 0.02 है0, खसरा नबंर 315 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 316 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 317 की रकबा 0.92 है0, खसरा नबंर 344 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 375 की रकबा 0.20 है0, किता 07 की 3.85 है0, आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा रहेगा व प्रतिवादी नबंर 01 का 1/6 हिस्सा रहेगा। तथा खाता संख्या 158 व वर्तमान खाता संख्या 181 के खसरा नबंर 314 की रकबा 0.63 है0, खसरा नबंर 418 की रकबा 0.43 है0, किता 02 की रकबा 1.06 है0, आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा रहेगा। तथा प्रतिवादी नबंर 01 का 1/12 हिस्सा रहेगा। तथा शेष हिस्सा यथावत की इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा की डिक्री पारित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25.08.2020** माह अगस्त 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश कुमार (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश कुमार (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)